



बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय - विद्यापति मार्ग, पटना-800001

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता

प्रधान महासचिव

मो० 7488601083



e-Mail : bvapatna@gmail.com

पत्रांक-41.....

दिनांक-25-04-2020.....

सेवा में,

सचिव महोदय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना ।

विषय :- योजना अन्तर्गत चल रहे 315 पशु चिकित्सालयों एवं बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना को गैर योजना में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन करना है कि विभाग के राज्यादेश संख्या 1340, दिनांक 28.03.2011 एवं 70, दिनांक 18.01.2017 द्वारा कुल 315 पशुचिकित्सालयों के पशुचिकित्सकों एवं कर्मियों के पदों का सृजन किया गया है तथा विभाग के राज्यादेश संख्या - 9755, दिनांक 29.10.1985 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना की योजना की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में विभाग द्वारा योजना के माध्यम से इन 315 पशु चिकित्सालयों एवं बिहार पशु चिकित्सा परिषद् का कार्य सम्पादन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत स्थापना होने के कारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता होती है। अवधि- विस्तार स्वीकृत होने तक इन पशु चिकित्सालयों एवं परिषद् अंतर्गत कार्यरत पशु चिकित्सकों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान अवरुद्ध रहता है, जिसके कारण कार्यरत कर्मियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में इन 315 पशु चिकित्सालयों एवं परिषद् का संचालन भविष्य में भी नितांत आवश्यक है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि योजनान्तर्गत चल रहे 315 पशु चिकित्सालयों एवं परिषद् के स्थापना को यथाशीघ्र गैर योजना में स्थानान्तरित करने हेतु समुचित दिशा-निर्देश संबंधित प्रभाग को देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

B. Mukta
25.04.20

(डा० विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव